सं 253 /2012/ एच ओ डी /सरकुलर
वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्र
डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून

दिनॉकः– 31 मई 2012

परिपत्र

वन अनुसंधान संस्थान के (लगभग4000) विभिन्न कार्यालय, प्रयोगशालाएं एंव आवासों हेतु पॉच पम्प हाउस से जलापूर्ति की जा रही है। अत्यन्त गुणवत्ता के साथ ही क्लोरीनयुक्त जल की आपूर्ति 340 फीट की गहराई वाले बोंरिग से की जाती है। जिसका सामान्य मासिक शुल्क 10 रूपये से 25 रूपये प्रति कर्मचारी है। यह विशेष सुविधाजनक (छूटयुक्त) है,यदि हम आम शहर मे अन्य विभागो से तुलना करें जिनसे कि कम समय में जलापूर्ति हेतु इससे अधिक मूल्य लिया जाता है।

1. जलस्तर बहुत निम्न होता जा रहा है तथा ग्रीष्मकाल में हम पहले ही अपने दो बोंरिग का 20 फीट की गहराई तक विस्तार कर चुके है।
2. उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली कटौती की जा रही है एंव कम वोल्टेज जलापूर्ति की बढती लागत को लागू करने मे असक्षम है।
3. जल उपभोक्ता पानी का कार धोने में, जानवरों, सब्जी के बगीचे की सिंचाई तथा लॉन इत्यादि में दुरूपयोग करते है यह तक कि व्यर्थ में नल खुले रहते है।
4. अनेक आवासों में मुख्य लाइनों पर 1/2 हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर के टुल्लू पम्प सीधे मुख्य पाइप लाइन में लगाए गए है जिस कारण अन्य उपभोक्ता उसी मात्रा में जलापूर्ति से वंचित रह जाते है।
5. यह सूचित किया जाता है कि टुल्लू पम्प मुख्य पाईप लाइन में लगाना पूर्णतया गैरकानूनी है और अपराध भी है। अतः सभी कर्मचाारियों/ अधिकारियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने मेन पाइप लाइन पर पम्प लगा रखा है तो तुरन्त निकाल दें। इसके लिए आकस्मिक निरीक्षण हेतु एक टीम भी गठित की गई है यदि निरीक्षण के दौरान इस तरह कोई पम्प लगा हुआ मिलता है, तो पम्प को तुरन्त जब्त कर